कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून पिन कोड़-248195

स0: स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-13/2017-18/

दिनांक : /06/2018

सेवा में,

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,
ग्राम पंचायत- नौटी
विकास खण्ड- कर्णप्रयाग
जिला- चमोली

विषय : ग्राम पंचायत नौटी, विकास खंड- कर्णप्रयाग का वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के **भाग 2 (अ) में शून्य प्रस्तर, भाग-2(ब) में 03 प्रस्तर तथा STAN के शून्य प्रस्तर** हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (*Annual Technical Inspection Report*) (*ATIR*) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग 2(ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति
2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-13/2017-18/ **दिनांक: /06/2018** प्रतिलिपि

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, डांडा लाखोंड, आई0टी0पार्क सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून
2- निदेशक, लेखापरीक्षा (ऑडिट) निदेशालय उत्तराखण्ड, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005
3- जिला पंचायतराज अधिकारी **नौटी**
4- खण्ड विकास अधिकारी **कर्णप्रयाग, जनपद- चमोली**

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

ग्राम पंचायत **नौटी,** (क्षेत्र पंचायत- **कर्णप्रयाग,** जनपद- **चमोली)** के लेखे पर निरीक्षण प्रतिवेदन। यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखाकार (क.श.एवं.से.श.) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत सम्पन्न की गयी है।

भाग-1

ग्राम पंचायत, **नौटी,** (क्षेत्र पंचायत- **कर्णप्रयाग,** जनपद - **चमोली** के वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के लेखों की संप्रेक्षा श्री राजवेश भट्ट, ले.प. द्वारा 16.05.2018 तक की गयी।

2. परिचय

(अ) इस ग्राम पंचायत का यह **प्रथम निरीक्षण** था।

(ब) ग्राम पंचायत का परिचय अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

3. प्रशासन

उल्लिखित अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधान और उप प्रधान थे-

I प्रधान

नाम	**अवधि**
(अ (**श्री विनोद सिहं**	**जूलाई 2014**

II उपप्रधान-

नाम	**जूलाई 2014**
(अ)श्रीमति त्रोलोचनी देवी	

<u>भाग-2</u>

अनुभाग ‘अ‘

1 (अ) पिछले प्रतिवेदनों के बकाया आपत्तियों के प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है।

-प्रथम निरीक्षण-

(ब) सतत् अनियमितताएंः-

-शून्य-

2. अनुदान

अनुदानों की विनियोग पंजी नहीं रखी जा रही है, एवं अनुदानों की विनियोग पंजी न रखने से होने वाले प्रभाव निम्नवत् है।

1- अनुदान पंजिका नहीं बनाये जाने के कारण उपभोग प्रमाण पत्र की जांच नही हो सकी।

भाग-2

अनुभाग 'ब'

1. लेन-देनों का परिमाण

सम्प्रेक्षणाधीन वर्ष के दौरान लेन-देनों का परिमाण निम्नलिखित विवरणानुसार था।

	धनराशि (` में)
01.04.2015 को प्रारम्भिक शेष	` 279753/-
जोड़े-वर्ष के दौरान प्राप्तियां	` 1560254/-
कुल प्राप्तियां	` 1840007/-
घटायेः- वर्ष के दौरान व्यय	` 1147080/-
31.03.2018 को अंतिम शेष	` 692927/-

2. रोकड़ शेष:

(i) ग्राम पंचायत की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2018 को शेष का कोषालय/बैंक पास बुक/विवरण के शेष से मिलान किया गया है।

------------शून्य------------

3. समाधान विवरण		
		(धनराशि ` में(
रोकड़ बही के अनुसार शेष	:	` 692927 -/
जोड़े	:	
(i)	:	0.00
घटायें	:	
(i)	:	0.00
बैंक पासबुकोंविवरण/ के अनुसार शेष	:	` 692927 -/

(ii) रोकड़ बही में अनियमितताएं

-----------------शून्य--------------

4. आय व्ययक

(अ) ग्राम पंचायत ने वर्ष के लिए न तो कोई आय व्ययक अनुमान तैयार/अनुमोदित किया न ही उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 के नियम 44 के अधीन कोई कार्यवाही की। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई राशि ` 1147080/-उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 के नियम 44 के अनुसार अनाधिकृत है।

5. अग्रिम:

अग्रिम पंजिका नहीं बनायी गयी थी। अतएव निरीक्षण में अग्रिमों के संबंध में कोई निरीक्षण टिप्पणी नहीं की जा सकी।

6. नहीं बनाये गये अति महत्वपूर्ण अभिलेखः

(1) ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित लेखा पंजिकायें/अभिलेख नहीं खोली/रखी गयी थी या इनका ठीक से रख-.रखाव नहीं किया गया था:-

लेखा पंजिकाओं/अभिलेखों का नाम

1- अग्रिम पंजिका

2- कार्यबाही पंजिका

3- बिल पंजिका

4- CAG के 80 प्रपत्र

1. इकाई द्वारा बैंक से नगद आहरण किया जा रहा था।
2. आन्तरिक लेखापरीक्षा सम्पादित नहीं की जा रही थी।
3. 1% लेवर सेस का प्रावधान नहीं किया जा रहा था।
4. पंचायत की आय बढाने के प्रयास नहीं किया जा रहे थे। जिससे पंचायत परफॉर्मेन्स से वंचित रही।

भाग-एक

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय ग्राम पंचायत **नौटी,** (क्षेत्र पंचायत- **कर्णप्रयाग,** जनपद - **चमोली** की वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 तक के लेखा -अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री राजवेश भट्ट, ले.प. द्वारा दिनांक 16.05.2018 को संपादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः **प्रथम निरीक्षण**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 प्रस्तर भाग-4 (अ) प्रस्तर भाग-4 (ब)

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर -

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर-		---

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची:

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख:

भाग -3 (ग्राम पंचायत- नौटी) 2015-16

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केंद्रीय वित्त	82660	161000	243660	47642	196018
2	राज्य वित्त	50000	99000	149000	111639	37361
3	ब्याज प्राप्ति	0	13094	13094	0	13094
4	BRGF	12254	0	12254	0	12254
5	विधायक निधि	134839	5000	139839	0	139839
6	पंचायत कर/किराया	0	0	0	0	0
	कुल योग	**279753**	**278094**	**557847**	**159281**	**398566**

भाग -3 (ग्राम पंचायत- नौटी) 2016-17

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केंद्रीय वित्त	196018	403000	599018	30070	568948
2	राज्य वित्त	37361	49000	86361	41534	44827
3	ब्याज प्राप्ति	13094	21673	34767	0	34767
4	BRGF	12254	0	12254	7000	5254
5	विधायक निधि	0	75000	75000	0	75000
6	पंचायत कर/किराया	139839	0	139839	0	139839
	कुल योग	**398566**	**548673**	**947239**	**78604**	**868635**

भाग -3 (ग्राम पंचायत- नौटी) 2017-18

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केंद्रीय वित्त	568948	372000	940948	509151	431797
2	राज्य वित्त	44827	211000	255827	234990	20837
3	ब्याज प्राप्ति	34767	5487	40254	0	40254
4	BRGF	5254	0	5254	5254	0
5	विधायक निधि	75000	85000	160000	159800	200
6	पंचायत कर/किराया	139839	0	139839	0	139839
7	सांसद निधि	**0**	**60000**	60000	**0**	**60000**
	कुल योग	**868635**	**733487**	**1602122**	**909195**	**692927**

<u>लेखाओं पर टिप्पणी:-</u>

(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है |

(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है |

(iii) इकाई द्वारा बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया जा रहा है |

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर 1- इकाई द्वारा विभिन्न खातों से ब्याज के रुप में प्राप्त धनराशि ` 40254/- राजकोष में जमा न कर इकाई के खातो में लंबित पड़ी रहना ।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या 347/वि॰ आ॰ निदे॰ (तृ॰ रा॰ वि॰ आ॰)/ 2013 दिनांक 17 जनवरी 2013 के अनुसार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल धनराशि एवम उस पर अर्जित ब्याज का वर्षवार विवरण उपलब्ध कराते हुए ब्याज की धनराशि को राज़कोष में जमा किया जाना चाहिये।

ग्राम पंचायत नौटी के लेखाअभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इकाई को 04/2015 से 03/2018 तक बैंक खातों से ब्याज के रुप में रु. 40254 की धनराशि प्राप्त हुई थी। जिसे राजकोष में जमा नहीं कराया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि धनराशि को शीघ्र ही राजकोष में जमा कर लेखापरीक्षा को अवगत किया जाएगा ।

अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-02- भारत के नियन्त्रक एंव महालेखापरीक्षक द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु निर्धारित नवीन बजट तथा लेखा प्रारूपों पर लेखा तैयार नहीं किया जाना।

भारत के 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन के दिशा में सशक्त बनाने हेतु भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु नवीन एवं सरलीकृत बजट तथा लेखा प्रारूपों को अपनाने हेतु निर्धारित किया गया था। जिसके तारतम्य में निदेशक पंचायती राज के पत्र संख्या 1761/पं./लेखा/सी.ए.जी. प्रपत्र 2010-11 देहरादून दिनांक 25 फरवरी 2011 द्वारा नवीन लेखा प्रणाली के अंतर्गत नवीन 8 प्रपत्रों को समस्त ग्राम पंचायतो में लागू करने के निर्देश जिला पंचायतराज अधिकारियों को दिये गए थे।

ग्राम **नौटी,** के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि इकाई की रोकड़ बही तथा अन्य निर्धारित लेखा प्रापरुप भारत के नियन्त्रक एंव महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर तैयार नही किया जा रहा है जबकि इन प्रारुपों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लेखाकार/ग्राम पंचायत अधिकारियों तथा सम्बन्धित अधिकारियों को राज्य सरकार के प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों तथा उत्तराचंल ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

उपरोक्त के विषय पर पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि वर्तमान में पंचायत राज अधिनियम के द्वारा निर्धारित प्रारूपों में लेखाकंन का कार्य किया जा रहा है, किन्तु सम्बन्धित प्रपत्रों के अभाव में अभिलेखों का लेखाकंन निर्धारित प्रारुपों में नहीं हो पा रहा है।

अतः निर्धारित प्रारूपों को ग्राम पंचायत द्वारा लागू न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर-03- इकाई द्वारा दुकानो के किराए की वसूली वर्ष 2003 के बाद से न किया जना तथा पूर्व वसूली की धनराशि रु. 139255/- का वर्ष 2003 से अवरुद्ध रहना।

स्वायत्तशासी निकयों के द्वारा लगाये गए कर तथा निकायों कि परिसंपत्ति से प्राप्त किराया की आय के मुख्य साधन है। इ प्रकार के कर व किराए की नियमित वसूली की जानी चाहिए। इस विषय में भारत सरकार के पत्रांक 13(32)FCC/FCD/2015-16 दिनांक 08 अक्टूबर 2015 बिन्दु संख्या 13 में ग्राम पंचायतों को परफॉर्मेंस ग्रांट के संबंध में ग्राम पंचायतों को आय में वृद्धि के लिए निर्देशित भी किया गया है।

इकाई के रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2003 में पंचायत को दुकान (पंचायत भवन के प्रथम तल पर स्थित) के किराये से आय हो रही थी। परंतु वर्ष 2003 के बाद ऐसी किसी आय को अंकन रोकड़ बही में नहीं है। जांच करने पर पाया गया कि किराए की वसूली अज्ञात कारण से 2003 से बंद है तथा इकाई के अनुसार वर्ष 2003 से ही इस मद के काते में (भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 11831144492) में 139255/- अवेशेष है।
इस प्रकार जहां एक ओर किराए की वसूली न होने से इकाई की आय प्रभावित हो रही थी वहीं दूसरी ओर रु. 139255/- की धनराशि वर्ष 2003 से ही अवरुद्ध थी।

इसे इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों कि पुष्टि करते हुए बताया कि ग्राम सभा से बैठक में इस विषय पर चर्चा कर वसूली के प्रयास किए जाएंगे एवं उपरोक्त धनराशि को विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-2 (ब)</u>

भाग-पाँच

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततांए जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नौटी, विकास खण्ड- - कर्णप्रयाग, जिला- चमोली** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून-248195** को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि.लेखापरीक्षा अधिकारी /स्थानीय निकाय